



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01062021-227291
CG-DL-E-01062021-227291

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1943]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 31, 2021/ज्येष्ठ 10, 1943

No. 1943]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 31, 2021/JYAISTHA 10, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2021

का.आ. 2096(अ).— केंद्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन अधिनियम) 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4056(अ) तारीख 10/11/2020, जो भारत के राजपत्र तारीख 11/11/2020, में प्रकाशित की गई थी, उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पश्चिम बंगाल राज्य में पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एल.पी.जी. पाइपलाइन का संवर्धन तथा पटना और मुजफ्फरपुर तक इसका विस्तार परियोजना के लिए इंडियन आयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी। और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28/12/2020 से 04/01/2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी, और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केंद्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है।

अतः अब, केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केंद्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमो से मुक्त होकर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बंधित किसी भी मामले पर केंद्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी

अनुसूची					
पुलिस स्टेशन : बागनान -1		जिला : हाउड़ा	राज्य : पश्चिम बंगाल		
क्रम सं.	मौज़ा का नाम	प्लॉट सं०	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	उलनपारा-57(एल.आर.)	1557	00	00	80
		1554	00	01	00
		1545	00	01	10
		1552	00	03	70
		1553	00	02	00
		1551	00	01	50
		1549	00	15	70
		1613	00	09	20
		1614	00	00	70
		1620	00	02	90
		1621	00	03	90
		1622	00	09	70
		1623	00	00	80
		894	00	08	20
2	नहाला-56(एल.आर.)	162	00	02	50
		163	00	02	40
		167	00	03	40
		168	00	00	20
		165	00	01	10
		173	00	03	60
		178	00	05	50
		180	00	03	70
		177	00	01	10
		183	00	06	70
		184	00	10	60
		151	00	00	80
		150	00	08	30
		149	00	08	50
		141	00	02	40
		140	00	01	20
		139	00	02	00

		14	00	00	20
		17	00	02	40
		16	00	04	00
		19	00	02	20
		20	00	03	60
		21	00	00	20
		68	00	05	30
		67	00	09	40
		66	00	05	20
		91	00	04	20
		92	00	02	20
		63	00	08	40
		93	00	00	20
		490	00	10	20
		497	00	00	30
		496	00	13	20
		495	00	05	80
		494	00	05	90
		528	00	05	30
		529	00	03	60
		532	00	03	30
		533	00	01	20
		534	00	04	10
		542	00	07	70
		543	00	03	50
		547	00	00	20
		546	00	01	80
		544	00	08	10
		545	00	02	80
		551	00	03	00
		555	00	01	90
3	मुगबिरीआ-55(आर.एस.)	946	00	06	60
		9	00	01	30
		922	00	03	90
		920	00	05	20
		923	00	03	50
		921	00	00	40
		919	00	00	40
		927	00	02	00
		926	00	06	10
		940	00	10	10

940/1676	00	04	70
939	00	02	50
953	00	08	60
954	00	09	00
970	00	04	10
971	00	00	90
968	00	05	00
986	00	18	20
1237	00	10	40
1235	00	02	40
1236	00	04	80
1226	00	03	10
1298	00	01	30
1223	00	04	60
1222	00	03	80
1224	00	00	90
1221	00	04	10
1220	00	00	20
1302	00	05	70
1303	00	06	40
1304	00	02	40
1215	00	00	50
1308	00	03	60

[फा. सं. R-11025(II)/246/2017-OR-I/E-17777]

पी. सोमा कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2021

S.O. 2096(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 4656(E) dated the 10th November, 2020, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Gazette of India dated the 11th November, 2020, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the Purpose of laying pipeline for **“Augmentation of Paradip – Haldia - Durgapur LPG Pipeline Project & its extension upto Patna & Muzaffarpur”** by Indian Oil Corporation Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to form 28.12.2020 to 04.01.2021.

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government.

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this

notification is hereby acquired for laying the pipeline And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Indian Oil Corporation Limited, free from all encumbrances.

Indian Oil Corporation Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P & MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Encl.: Schedule

SCHEDULE					
Police Station: Bagnan - I		District:- Howrah	State :- West Bengal		
Sl. No.	Name of the Village	Plot No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Ulanpara -57(LR)	1557	00	00	80
		1554	00	01	00
		1545	00	01	10
		1552	00	03	70
		1553	00	02	00
		1551	00	01	50
		1549	00	15	70
		1613	00	09	20
		1614	00	00	70
		1620	00	02	90
		1621	00	03	90
		1622	00	09	70
		1623	00	00	80
		894	00	08	20
2	Nahala -56(LR)	162	00	02	50
		163	00	02	40
		167	00	03	40
		168	00	00	20
		165	00	01	10
		173	00	03	60
		178	00	05	50
		180	00	03	70

177	00	01	10
183	00	06	70
184	00	10	60
151	00	00	80
150	00	08	30
149	00	08	50
141	00	02	40
140	00	01	20
139	00	02	00
14	00	00	20
17	00	02	40
16	00	04	00
19	00	02	20
20	00	03	60
21	00	00	20
68	00	05	30
67	00	09	40
66	00	05	20
91	00	04	20
92	00	02	20
63	00	08	40
93	00	00	20
490	00	10	20
497	00	00	30
496	00	13	20
495	00	05	80
494	00	05	90
528	00	05	30
529	00	03	60
532	00	03	30
533	00	01	20
534	00	04	10

		542	00	07	70
		543	00	03	50
		547	00	00	20
		546	00	01	80
		544	00	08	10
		545	00	02	80
		551	00	03	00
		555	00	01	90
3	Murgaberia -55(RS)	946	00	06	60
		9	00	01	30
		922	00	03	90
		920	00	05	20
		923	00	03	50
		921	00	00	40
		919	00	00	40
		927	00	02	00
		926	00	06	10
		940	00	10	10
		940/1676	00	04	70
		939	00	02	50
		953	00	08	60
		954	00	09	00
		970	00	04	10
		971	00	00	90
		968	00	05	00
		986	00	18	20
		1237	00	10	40
		1235	00	02	40
		1236	00	04	80
		1226	00	03	10
		1298	00	01	30
		1223	00	04	60

1222	00	03	80
1224	00	00	90
1221	00	04	10
1220	00	00	20
1302	00	05	70
1303	00	06	40
1304	00	02	40
1215	00	00	50
1308	00	03	60

[F. No. R-11025(II)/246/2017-OR-I/E-17777]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.